

244 US LI
12/4/2021

(4) (5)

विषय :- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान में व्यवस्थित राशि बारे।

क्या अधीक्षक सरकारी स्कूल मौलिक शाखा उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त विभाग से आन-लाईन बजट प्राप्त हो चुका है। जिस अनुसार आपकी शाखा में संचालित स्कीमों के लिए जो राशि का प्रावधान हुआ है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :-


Major Head/Sub Head/Name of the Scheme 2202-General Education 01-Elementary Education	Objects	Budget Estimates 2021-22
101-Government Primary Schools [98] Middle Education Classes VI to VIII (98) Establishment Expenses (Provision of Sports / recreation activities and development of play ground)	24) Material & Supplies	40,00,000
102-Assistance to Non-Government Primary Schools.		
[99] Grant-in-aid to Welfare Society for Deaf and Dumb.	09) Grant-in-Aid-General	3,00,00,000
800-Other Expenditure	05) Office Expenses	10,00,000
[93] Right To Education Act	34) Other Charges	249,90,00,000
	Total	250,00,00,000
Part-II Central Scheme (Sharing Basis) 111-Sarva Shiksha Abhiyan [99] Sarva shiksha Abhiyan	09) Grant-in-Aid-General	430,00,00,000
	43) Grant for creation of capital assets	70,00,00,000
	Total	500,00,00,000
	State Share	200,00,00,000
	Centre Share	300,00,00,000
793-Special Central Assistance for Scheduled Castes. [99] Sarva Shiksha Abhiyan	74) Special Component Plan for SC.	156,00,00,000
	State Share	62,40,00,000
	Centre Share	93,60,00,000
101-Government Primary Schools [88] Establishment of Primary Education Classes I-V.	01) Salary	269,36,00,000
	03) Dearness Allowances	72,79,00,000
	67) Medical Reimbursement	7,80,00,000
	70) LTC	7,00,00,000
	Total	356,95,00,000
101-Government Primary Schools [98] Middle Education Classes VI to VIII. (98) Establishment Expenses	01) Salary	998,20,00,000
	03) Dearness Allowances	232,48,00,000
	67) Medical Reimbursement	8,00,00,000
	70) LTC	10,00,00,000
	Total	1248,68,00,000

- उक्त स्कीमों में व्यवस्थित राशि की स्वीकृति सरकार/सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त स्वीकृति की प्रति बजट एवं योजना शाखा तथा BCA को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करे, ताकि राशि आन-लाईन करने बारे कार्यवाही की जा सके।

2. राशि का उपयोग वित्त विभाग एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतो/निर्देशानुसार दिनांक 31-03-2022 तक करना सुनिश्चित करें।
3. स्वीकृति जारी करते समय वित्त विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5/6/2005-5 B&C दिनांक 09-05-05, 11-06-10, 11-05-11 व 20-04-16 तथा पत्र क्रमांक 5/7/2005-5 B&C दिनांक 09-05-05 अनुसार जारी दिशानिर्देशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
4. अगर किसी नई स्कीम के तहत राशि का प्रावधान करवाया गया है तो उसका माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करके ही राशि खर्च की जाए।

नोट :-

1. मद G.I.A के तहत वित्त विभाग द्वारा बजट आन-लाईन नहीं किया गया है। अतः मद G.I.A से सम्बन्धित स्कीमों का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजकर स्वीकृति प्राप्त करने एवं बजट आन-लाईन करवाने बारे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. नई कार्यबांट अनुसार RTE शाखा का कुछ कार्य अन्य शाखाओं में परिवर्तित हो चुका है और मद OC के तहत RTE स्कीम में विभिन्न कार्यों हेतु राशि खर्च होनी है। अन्य शाखाओं में जो कार्य परिवर्तित हुआ है तदनुसार आप अपने स्तर पर उन शाखाओं को बजट बारे सूचित करें ताकि उन द्वारा राशि का उपयोग किया जा सकें।


अधीक्षक बजट/योजना

सेवा में

अधीक्षक सरकारी स्कूल मौलिक शाखा

अशा10 क्रमांक 7/1 -2021 बजट (2)

दिनांक 9/4/21

12/21

12/4

1